कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–1135/15–7–2023–01(14)/2022 दिनांक 06 सितम्बर, 2023 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–1476/15–7–2023–01(14)/2022 दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 के आलोक में ऑनलाइन प्रक्रियानुसार साफ्टवेयर के माध्यम से चयनित परीक्षा केन्द्रों की सूची के अवलोकन/परीक्षाणोंपरान्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के फलस्वरूप अनुमोदित किये गये परीक्षा केन्द्रों की सूची दिनांक 26–12–2023 को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड/प्रदर्शित कर दिया गया है।

जनपद स्तरीय केन्द्र निर्धारण समिति के अनुमोदनोपरान्त परिषद की वेबसाइट पर अपलोड/प्रदर्शित किये गये परीक्षा केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था के छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति/प्रत्यावेदन परिषद की ई–मेल आई0डी0 upboardcentre2024@gmail.com पर दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 तक भेज सकते है। दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति/प्रत्यावेदन पर विचार नही किया जायेगा।

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/ 511-9 दिनांक: 26-12-23

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2– अनु सचिव, शिक्षा–7 अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, मा0शि0प0, शिविर कार्यलय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
4– अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5– अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
6– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
8– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/प्रयागराज/वाराणसी/ गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।
9– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव।